विविध बैंक प्रकरण सं0 75/2019 (RCMS 2019/00126) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री निर्मल सिंह संधू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एस्सेट्स क्रेडिट केन्द्र, नगरपालिका रोड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स आहुजा इलेक्ट्रोनिक्स–प्रो. श्री गौरी शंकर आहुजा, नजदीक बस स्टैण्ड रोड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 2. श्रीमती राम देवी पत्नि श्री जीवन दास 3. श्री सत्यपाल पुत्र श्री जीवन दास निवासी वार्ड नं. 15, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मै. आहुजा इलेक्ट्रोनिक्स – प्रो. गौरी शंकर आहुजा, रामा देवी एवं सत्यपाल को ऋण सुविधा के रूप में 22.00 लाख रूपये (अखरे रूपये बाईस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.03.2018 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों सत्यपाल व गौरी शंकर की दुकान नं. 44, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर और रामा देवी की दुकान नं. 77, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 17.12.2018 को 22,55,541/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 17.12.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक से देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणियों सत्यपाल व गौरी शंकर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई दुकान नं. 44, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर और रामा देवी की दुकान नं. 77, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मै. आहुजा इलेक्ट्रोनिक्त – प्रो. गौरी शंकर आहुजा, रामा देवी एवं सत्यपात को 22.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये बाईस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.03.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में सत्यपाल व गौरी शंकर द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 44, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर और रामा देवी की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 77, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 28.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 17.12.2018 रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए है, की रसीद एवं पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किये गये विभिन्न पत्र दिनांक 04.09.2019 के अनुसार उक्त धारा 13(2) के नोटिस तामील हुई है। अप्रार्थीगण मै. आहुजा इलेक्ट्रोनिक्स–प्रो. गौरी शंकर आहुजा, रामा देवी एवं सत्यपाल को उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणियों ने प्रार्थी बैक की बकाया

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति दुकान नं. 44, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर जो सत्यपाल व गौरी शंकर के नाम से है एवं दुकान नं. 77, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जो रामा देवी के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.12.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 17.12.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मै. आहुजा इलेक्ट्रोनिक्स–प्रो. गौरी शंकर आहुजा, रामा देवी एवं सत्यपाल के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप धारा 13(2) नोटिस की पावती के पोस्ट ऑफिस के उक्त वर्णित पत्र रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्राथी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों सत्यपाल, गौरी शंकर एवं रामा देवी द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक–शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल** सम्पत्ति दुकान नं. 44, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर (क्षेत्रफल 10' गुणा 12') जो कि ऋणियों सत्यपाल व गौरी शंकर के नाम से है एवं दुकान नं. 77, नजदीक बस स्टैण्ड, सादुलशहर (क्षेत्रफल 10' गुणा 12') जो कि ऋणी रामा देवी के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर